आज यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता का फौती नामान्तरकरण में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से प्राप्त जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम सूरजगढ की भूमि ख.नं. 210 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम घडसीराम पुत्र नोपाराम दर्ज है जब कि प्रार्थी के,पिता के राशन कार्ड, आधार कार्ड व पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम घीसाराम पि. नोपाराम है। उक्त घडसीराम पुत्र नोपाराम व घीसाराम पि. नोपाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजात व जांच रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन उपरान्त प्रार्थी व उसके पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सूरजगढ के भूमि ख.नं. 210 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम घडसीराम पुत्र नोपाराम के स्थान पर घीसाराम पुत्र नोपाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार दुरूस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहसरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:20:51 IST
Reason: SelfAttested